अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ईश्वर सिंह V/s रामलाल वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/23	श्री अजीत सिंह राठौड़ श्री दिलीप सिंह राठौड़ GA-2	

ईश्वर सिंह बनाम रामलाल (मृ) शिवकरण वगैरह (32/2022)

प्रार्थना पत्र रिव्यू (नजरसानी) आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं रिव्यू (नजरसानी) पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4/4 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 08.06.2023 को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम में कथन किया कि मान्नीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 507/2015 में तहसीलदार, मौजमाबाद को निर्देशित फरमया गया कि प्रकरण संख्या 123/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.15 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील पेश करें जिसमें खसरा नम्बर 77 में से 14 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किया गया के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा मान्नीय न्याालय के आदेश की पालना में कोई अपील पेश नहीं की गई और अप्रार्थीगण के पास अपनी खुद की खातेदारी में से होकर पूर्व से ही रास्ता अवस्थित होने के बावजूद प्रार्थी के पक्के बरामदे को तोड़कर गलत रूप से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभिभाषक महोदय ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 508/015 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 के विरूद्ध नजरसानी याचिका प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह देने पर पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रकरण गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर उपरोक्त कारणों से अपील प्रस्तुत में लगा समय क्षमा कर प्रार्थना पत्र रिव्यू को अन्दर मियाद किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह विधि सम्मत नहीं हैं। आदेश की जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को शुरू से थी फिर भी नजरसानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है जिसके देरी को ठोस कारण अंकित नहीं किये गये हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सद्भाविक होने व संतोषप्रद होने से न्यायहित में नजरसानी प्रार्थना पत्र में हुयी देरी को क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा नजरसानी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार की जाता है।**

तत्पश्चात नजरसानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 77 गैर मुमकिन भूमि है तथा खसरा नम्बर 78 वर्तमान प्रार्थी की सह खातेदारी की भूमि है जो आपसी मौखिक बंटवारे के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

— — लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

132/2023/29 ... V/S ...

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री ... श्री ...

लगातार

दक्षिणी 1/3 हिस्सा प्रार्थी को प्राप्त हुआ जिसमें मकान मुर्तिब है जिसमें दक्षिण दिशा में मकान के आगे लम्बा बरामदा मुर्तिब है जिसके स्थान पर पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.02.2015 को 14 फीट चौड़ा रास्ता पश्चातवर्ती आदेश के तहत् 16 फीट प्रदान करने के बाद और प्रदान कर दिया गया लेकिन मान्नीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें निरस्त फरमा दी गई जबकि अप्रार्थीगण के पास पूर्व से ही कदीमी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है लेकिन नक्शा ट्रेस का सही से अवलोकन किए विना आदेश अन्तर्गत अपील दिनांक 12.03.2021 को अपील संख्या 508/2015 में पारित कर दिया गया। खसरा नम्बर 73 ग्राम के अन्य खातेदारो की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 75 चाह एवं खसरा नम्बर 76 तालाब है एवं इसके दक्षिण दिशा में लगते हुए खसरा नम्बर 140 ग्राम की आवादी है, खसरा नम्बर 1474/113 में रामकंवार के वारिसान व शिवकरण का मकान मुर्तिब है तथा खसरा नम्बर 1475/113 में रामलाल के सगे भाई लक्ष्मीनारायण के बेटे महादेव का मकान बना हुआ है। इस प्रकार ग्राम की आबादी खसरा नम्बर 140 से अप्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूति खसरा नम्बर 1474/113, व खसरा नम्बर 1475/113 में होकर खसरा नम्बर 112 में आते-जाते है तथा खसरा नम्बर 112 के पूर्व दिशा में लगते हुए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 114 अवस्थित है में आते-जाते है। वैसे भी आबादी खसरा नम्बर 140 की उत्तरी पूवी सीमा खसरा नम्बर 112, 113, व 114 के लगती हुई है जिसमें होकर कदीम से आते-जाते है। खसरा नम्बर 77 में जो रास्ता 16 फीट चौड़ा दिनांक 23.07.2014 को प्रदान किया गया के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 73 अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 112 अवस्थित है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्तो के पूर्व दिशा में जब उनकी खातेदारी का कोई खेत ही अवस्थित नहीं है तथा पश्चिम दिशा में अवस्थित खसरा नम्बर 112 एवं 114 जो कि अप्रार्थीगण जो कि रामलाल के वारिसान है की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1474/113 जिसमें उनके मकान बने हुए है से लगते हुए आवादी खसरा नम्बर 140 अवस्थित है तथा उक्त खेतो के लगते हुए पूर्व दिशा में लगते हुए खसरा नम्बर 114 अवस्थित है से आते-जाते तब उन्हे खसरा नम्बर 77 में से रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि खेत खसरा नम्बर 114 सीधा उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1474/113 से लगता हुआ पूर्व दिशा में अवस्थित है एवं खसरा नम्बर 114 का उत्तरी भाग खसरा नम्बर 112 से लगता हुआ है। जिससे कदीम से उक्त रासते का उपयोग-उपभोग करने के बावजूद त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट मुर्तिव करवा कर कदीमी रास्ता होने के बावजूद धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 77 में से 16 फीट चौड़ा रास्ता जो खसरा नम्बर 1494/77 अंकित किया गया है गलत रूप से प्रदान किया गया है। जिससे मान्नीय नयायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तर्गत अपील संख्या 508/2015 में उपरोक्त वर्णित कानूनी त्रुटि प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होकर निर्णय दिनांक 12.03.2021 निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत नजरसानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित अपील संख्या 508/2015 (2015/00192) में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2021 निरस्त फरमा कर अपील वास्ते सुनवाई पुनः नम्बर पर जिये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब/वहस प्रार्थना पत्र रिव्यू में कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

132/2023/229 ईश्वर सिंह वि/स रामलाल

तारीख	2023/132 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री अजीत सिंह राठौड़ श्री दिलीप सिंह राठौड़	

लगातार-

एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर
कथन किया कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर
114 रकबा 0.21 है0 वाकै ग्राम कड़वो का वास तहसील मौजमाबाद में स्थित है,
जिसमें आने–जाने हेतु रास्ता नहीं है इसलिए अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर
77 रकबा 0.08 है0 के पश्चिमी मेर पर पश्चिम से पूर्व की ओर 43 फुट लम्बा व
16 फुट चौड़ा अर्थात 76.4 वर्गगज रास्ता दिलवाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय
ने उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। दिनांक
26.03.2014 को अप्रार्थी तहसीलदार को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया।
दिनांक 25.06.20214 को तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुइ। मौका
रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 112, 114 में आने–जाने का रास्ता
नहीं है मात्र सिवायचक खसरा नम्बर 77 में से रास्ता दिया जाना संभव है,
चुँकि प्रार्थी के खसरा नम्बर 112 व 114 में और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद
नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वाकै ग्राम कड़वो का बास, तहसील
मौजमाबाद के आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवायचक
गै0मु0वाड़ा के पश्चिमी मेर पर पश्चिम से पूर्व की ओर 43 फुल लम्बा व 16
फुट चौड़ा अर्थात 76.4 वर्गगज का रासता खातदेार की जो में आने–जाने के
लिए दिया गया वह विधि सम्मत था इसलिए माननीय न्यायालय ने
प्रार्थी/अपीलांट की अपील को खसरा नम्बर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 भूमि
सिवायचक गै0मु0वाड़ा है माना है तथा अपीलांट का कोई सम्बन्ध सरोकार नही
माना है इसलिए अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की
श्रेणी में नही आता है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता का अभाव माना है तथा
तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 77 रकबा 0.08है0 में
से नया रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे वहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा
दी. पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर
1519/77 रकबा 0.0499 है0 गै.मु.वाड़ा में से 43 फुट लम्बा पूर्व से पश्चिम
14फीट चौड़ा उत्तर से दक्षिण अर्थात 55 वर्गमीटर प्रार्थना पत्र में रास्ता चौड़ा
करने के लिए मांग की है जबकि तहसीलदार के प्रार्थना पत्र क्रमांक:भू.अ
/14/8044 दिनांक 12.12.2014 में खसरा नम्बर 1519/77 में 56 वर्गमीटर
कर दिया है जिस प्रकार प्रार्थना पत्र में सभी जगह 56 वर्गमीटर दर्ज किया
जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 1519/77 रकबा 0.0499
है0 में से 43 फुट लम्बा व उत्तर से दक्षिण 14 फुट चौड़ा अर्थात 56 वर्गमीटर
का रास्ता कायम करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा
द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है तथा निर्णय में ऐसा कोई एरर अपरेंट ऑफ दी
फेस जाहिर नहीं है । न्यायालय हाजा ने अपील में प्रार्थी को पीड़ित पक्षकार
नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को खारिज करते हुए
अपील खारिज की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । यह भी कथन किया कि
प्रकरण को वापिस नये सिरे से नहीं सुना. जा. सकता है । यदि प्रार्थी को लगता
है कि निर्णय में त्रुटि है तो भी त्रुटि के आधार पर पुनरावलोकन विधि अनुसार
संधारण योग्य नहीं है । प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से नजरसानी प्रार्थना पत्र को
सावित नहीं किया है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र नजरसानी पर की गई
वहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

132/2023/ 229

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/132	
लगातार	बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि खसरा नम्बर 77 में जो रास्ता 16 फीट चौड़ा दिनांक 23.07.2014 को प्रदान किया गया के पश्चिम दिशा मे खसरा नम्बर 73 अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 112 अवस्थित है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्तो के पूर्व दिशा में जब उनकी खातेदारी का कोई खेत ही अवस्थित नहीं है तथा पश्चिम दिशा में अवस्थित खसरा नम्बर 112 एवं 114 जो कि अप्रार्थीगण जो कि रामलाल के वारिसान है की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1474/113 जिसमें उनके मकान बने हुए है से लगते हुए आबादी खसरा नम्बर 140 अवस्थित है तथा उक्त खेतो के लगते हुए पूर्व दिशा में लगते हुए खसरा नम्बर 114 अवस्थित है से आते-जाते तब उन्हे खसरा नम्बर 77 में से रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि खेत खसरा नम्बर 114 सीधा उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1474/113 से लगता हुआ पूर्व दिशा में अवस्थित है एवं खसरा नम्बर 114 का उत्तरी भाग खसरा नम्बर 112 से लगता हुआ है। जिससे कदीम से उक्त रास्ते का उपयोग-उपभोग करने के बावजूद त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट मुर्तिब करवा कर कदीमी रास्ता होने के बावजूद धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 77 में से 16 फीट चौड़ा रास्ता जो खसरा नम्बर 1494/77 अंकित किया गया है गलत रूप से प्रदान किया गया है। जाप्ता दीवानी के आदेश 47 नियम 1 में रिव्यू का प्रावधान है। हांलाकि रिव्यू का एक संक्षिप्त दायरा होता जिसमें न्यायालय को एरर अपरेंट ऑफ दी फेस अथवा किसी त्रुटि या भूल, गलती जो दस्तावेज देखने से प्रतीत होती है अथवा अन्य पर्याप्त कारण जो न्यायालय पुनःविलोकन के लिए उचित समझता हो, के आधार पर निर्णय करना होता है। प्रश्नगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध यह अपील है जिसमें न्यायालय को यह देखना था कि आवेदक को उसके खेत में आने-जाने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2014 को 14फीट व दिनांक 16.02.2015 को 16 फीट रास्ता प्रदान करने के आदेश दिये जाकर रेसपोडेन्टस को गैर मुमकिन बाड़े से रास्ता दिया गया है जबकि अपीलांट द्वारा कब्जे के किये गये कथन का खंडन नहीं किया जाकर सीधे ही रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया यहाँ अपीलीय न्यायालय को अपील का ट्रायल करते समय यह देखना था कि क्या दिया गया रास्ता किसी मुख्य मार्ग से रेसपोडेन्टस के खेत को जोड़ता है, क्या खसरा नम्बर 77 में से पूर्व में कोई रास्ता आवेदक के खेतों मे आने-जाने हेतु विद्यमान है। यह भी देखा जाना था कि जब पूर्व में न्यायालय द्वारा 14 फीट रास्ते को पर्याप्त मान लिया गया था तो दुबारा 16 फीट रास्ता दिये जाने की क्या आवश्यक थी। अपीलीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड में सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किये बिना ही अपील खारिज करना अपीलांट के अधिकारो का हनन है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा पूर्व दिये गये रास्ते बाबत् आदेश की प्रमाणित प्रति व वर्तमान जमाबंदी का बिना अवलोकन किये ही अपील का निर्णय किया जाना इस बात के लिए पर्याप्त है कि अपीलांट को दुबारा अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए नजरसानी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतःनजरसानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 508/2015(2015/00192) में पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 को	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

132/2023/229 ईश्वर सिंह व/स रामलाल

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/132 GA 2 श्री अजीत सिंह राठौड़ श्री दिलीप सिंह राठौड़ 11/4/4	
लगातार	निरस्त किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। (राजेन्द्र सिंह शेखावत) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	